



2026:CGHC:10546

NAFR

HIGH COURT OF CHHATTISGARH AT BILASPUR

SA No. 242 of 2017

1. Sitaram S/o Ghasiram, Aged About 40 Years Caste Aghariya, Occupation Agriculture, R/o Village Jhabad, Tahsil Baramkela, District Raigarh, Chhattisgarh, Chhattisgarh
2. Chhabikumar S/o Ghasiram, Aged About 35 Years Caste Aghariya, Occupation Agriculture, R/o Village Jhabad, Tahsil Baramkela, District Raigarh, Chhattisgarh, District : Raigarh, Chhattisgarh
3. Munki Wd/o Ghasiram, Aged About 60 Years Caste Aghariya, Occupation Agriculture, R/o Village Jhabad, Tahsil Baramkela, District Raigarh, Chhattisgarh, District : Raigarh, Chhattisgarh
4. Sita Kumari D/o Ghasiram, Aged About 37 Years W/o Mohan, Caste Aghariya, Occupation Agriculture, R/o Kanchanpur, Tahsil Baramkela, District : Raigarh, Chhattisgarh
5. Neela Kumari D/o Ghasiram, Aged About 32 Years W/o Tejram, Caste Aghariya, Occupation Agriculture, R/o Devarbhantha, Tahsil Saraipali, District Mahasamund, Present Address Sunder Nagar Plot No. 541/8, Behind Of Football House, In Front Of Lahar Beauty Parlor, Raipur, Chhattisgarh

... Appellant(s)

versus

1. Savitri Bai Wd/o Ghasiram, Aged About 65 Years Caste Aghariya, R/o Ramtek, Tahsil Sarangarh, District Raigarh, Chhattisgarh
2. State Of Chhattisgarh, Through The Collector, Raigarh, Chhattisgarh

... Respondent(s)

(Cause-title taken from Case Information System)

JYOTI
SHARMA
Digitally signed by
JYOTI SHARMA
Date: 2026.02.28
17:09:39 +0530

For Appellant(s) : Mr. Saurabh Gupta on behalf of Mr. Saurabh Sharma, Advocate

For Resp No. 1. : Mr. Manharan Sahu, Advocate

For Resp No. 2 : Mr. Lekhram Dhruw, PL

Hon'ble Shri Justice Bibhu Datta Guru

Judgment on Board

28/02/2026

1. The present Second appeal has been filed by the defendants being aggrieved by the impugned judgment and decree dated 27.01.2017 passed by Additional District Judge, Sarangarh, Raigarh C.G. in Civil Appeal No. 03A/2014 (Savitri Bai Vs. Sitaram & Ors.) reversing the judgment and decree dated 20.12.2013 passed in Civil Suit No. 03A/2012 by the Trial Court whereby dismissed the suit being barred by limitation.
2. The dispute was sent to mediation center of this Court for mediation by order dated 23.01.2026. Pursuant to the same, both the Parties appeared before the mediation center on 16.02.2026 & 23.02.2026 and the matter has been settled.
3. For the sake of convenience the mediation report dated 23.02.2026 is reproduced as under:-

“ समझौता पत्र ”

"उभय पक्षकारों के आग्रह पर और उनके व्यक्तिगत सहमति पर मा. उच्च न्यायालय में लंबित अपने SA No. 242/2017 (Sitaram & Ors. Vs. Savitri Bai & Ors.) पर चर्चा उपरांत सहमति बन गई। चूंकि अब उभयपक्ष अंतिम निर्णय की स्थिति में पहुंच चुके हैं और उनके मध्य विवाद स्वेच्छा पूर्वक पूर्ण सहमति के साथ समझौता / निपटारा हो चुका है अतः निम्न शर्तों के अधीन उभयपक्ष यह करारनामा स्वेच्छा पूर्वक करते हैं।"

1. यह कि, उभय पक्षकारों के बीच मृत घासीराम के हिस्से 12½ एकड के वाद भूमि के हिस्से में 1/5 हक हिस्सा का बंटवारा कराकर दखल कब्जा प्राप्त करने के संबंध में उत्तरवादनी / सावित्री की ओर से वाद लाया गया था, जिसमें विचारण न्यायालय ने वाद खारिज किया था, जिसका प्रथम अपील उत्तरवादनी / वादनी सावित्री ने प्रस्तुत किया था जिस पर अपील स्वीकार हुई थी और उत्तरवादनी वादनी को 12½ एकड का 1/5 हिस्सा दिलाया जाने का डिक्री दिया गया है।

2. यह कि, अपीलार्थी श्री सीताराम वगैरह ने प्रथम अपील के निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रथम अपील के निर्णय के अनुसार उत्तरवादनी उत्तरवादी को उसके हिस्से की 12½ एकड का 1/5 हिस्से की जमीन को अपीलार्थीगण सीताराम वगैरह उत्तरवादनी / वादनी को सहमत् है। और उसके 1/5 हिस्से में 2½ एकड वादनी की भूमि के बदले 19,00,000/- (उन्नीस लाख रुपये) देने को सहमत् हुए। 19,00,000/- (उन्नीस लाख रुपये) उच्च न्यायालय के निर्णय के 45 दिन के अंदर वादनी को नगद अपीलार्थीगण सीताराम वगैरह देंगे।

3. यह कि, अपीलार्थीगण उत्तरवादनी / वादनी सावित्री बाई के सौतेली पुत्र एवं पुत्री है इसलिये उत्तरवादनी सावित्री बाई की मृत्यु के बाद अपीलार्थीगण सीताराम वगैरह उसके क्रियाकर्म, दशकर्म, मृत्युभोज इत्यादि कर्म करेंगे। सावित्री बाई जीवित अवस्था में अपने मायके में रहेगी। मृत्यु होने के बाद अपीलार्थीगण सीताराम वगैरह उसके मृत शरीर को लाकर अपने गांव में लाकर मृतक का क्रियाकर्म करेंगे और मृत्यु भोज भी करेंगे।

4. यह कि, अपीलार्थीगण अगर 45 दिवस के अंदर उत्तरवादनी / वादनी सावित्री बाई के 1/5 हिस्से की 2½ एकड जमीन का पैसा नहीं देंगे तो उत्तरवादनी / वादनी सावित्री बाई अपने 2½ एकड को लेने के लिये स्वतंत्र रहेगी।

उपस्थित अपीलार्थी और उत्तरवादी अपनी स्वेच्छा से और अपने वकील से सलाह लेकर इस समझौते को लागू करना चाहते है इसमें दोनों पक्षकारों की सहमति है और दोनों पक्षकार इस बात पर भी सहमत है कि भविष्य में वे एक-दूसरे के खिलाफ मुकदमा या विवाद नहीं करेंगे।

आज उभय पक्षकार दोनों ही मामलों पर आपसी सहमति बनाने में सफल हुए और माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में लंबित मामले को समझौता के अनुसार समझौता डिक्री के आधार पर समाप्त करने में सहमत् है।

उभयपक्ष इस समझौता पत्र की शर्तों से सहमत हैं एवं पालन के लिए कटीबद्ध हैं करारनामा में दी गई शर्तों को उन्होंने अपनी स्वयं की स्वेच्छापूर्वक सहमति एवं बिना किसी दबाव, भय एवं लालच के स्वीकार किया गया है उभयपक्ष ने इस करारनामा की शर्तों को पढ़ने व समझने के पश्चात अपनी स्वतंत्र सहमति से परस्पर एक-दूसरे की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर निष्पादित किया।

4. In view of the aforesaid compromise entered into between the

parties, before the Mediation Centre and as the Court is satisfied that the same has been executed voluntarily and without any coercion or undue influence, the present Second Appeal stands disposed of in terms of the mediation report dated 23.02.2026. The mediation report shall form part of the decree.

5. Consequently, a decree be drawn in terms of the mediation report dated 23.02.2026. Parties shall remain bound by the terms and conditions contained therein.

Sd/-
(Bibhu Datta Guru)
Judge